न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस
मुकदमा नं0 3/20/17 निर्णय दिनांक : 15.05.2018

उनवान

1. बलदेव सैनी पुत्र छज्जूराम जाति माली निवासी ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर। ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग रामगढ जर्ये सहायक अभियन्ता रामगढ। ....अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1458 रकबा 0.19, 1496 रकबा 0.47, 1497 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का प्रार्थी कब्जा काश्त रिकोर्डेड खातेदार है। आज दिनांक तक कब्जे काश्त रहकर उक्त विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर पडौसी सीमान्त कृषकगण बुरी नियत रखते हुए बेजा अतिक्रमण वो अतिभार करने की चेष्टा में रहते है। जिसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते है। जिसको रोकने के लिए प्रार्थी ने अथक प्रयास कर लिये लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे है। बार–बार डोल तोड कर अतिक्रमण करते है। प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 27.05.2017 को की गई थी और उस वक्त इन व्यक्तियों को पैमाईश से अवगत करा पाबन्द फरमाया गया था परन्तु फिर भी परेशान करते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 1458 रकबा 0.19, 1496 रकबा 0.47, 1497 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश कर पत्थरगढी वो निशान देही सही माप से प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराने की कृपा करें।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी में दिनांक 15.05.2018 को पेश हुई। प्रार्थी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में उपस्थित नही हुआ।

पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 27.05.2017 द्वारा की गई पैमाईश का विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगढ के आदेश क्रमांक 17 दिनांक 26.05.2017 की अनुपालना ग्राम ललावण्डी के खसरा नम्बर 1458 रकबा 0.19, 1496 रकबा 0.47, 1497 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी के सीमांकन हेतु मौके पर पहुचा। मुताबिक वर्तमान नक्शा (चालू) से प्रार्थीयान एवं ग्राम के अन्य मौतवीरान की उपस्थिति में आराजी 1458 रकबा 0.19, 1496 रकबा 0.47, 1497 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी का सीमांकन कराया। प्रार्थी सीमाज्ञा से सन्तुष्ट है। प्रार्थी व अन्य मोतवीरान उपस्थितगणों के हस्ताक्षर करायें।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी में दिनांक 15.05.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 27.05.2017 को की जा चुकी है। अतः प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1458 रकबा 0.19, 1496 रकबा 0.47, 1497 रकबा 0.23 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत ललावण्डी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)